कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती स्वाति भटनागर, प्रबन्धक, गुरू नानक भवन संस्थान,(समकक्ष प्रधानाचार्य–राउमावि) जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकन्दरा, सिकराय जिला दौसा किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती स्वाति भटनागर द्वारा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 21742/2019 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से अन्तरिम स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया।

माननीय न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश दिनांकः 18.02.2020 के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 495/2020 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर बनाम स्वाति भटनागर व अन्य (अन्तर्गत एस.बी.सिविल याचिका सं. 21742) दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2020 द्वारा माननीय एकलपीठ के अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 18.02.2020 को अपास्त कर प्रत्यर्थी संख्या–1 (याचिकार्थी) श्रीमती स्वाति भटनागर, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राबाउमावि सिकन्दरा, सिकराय जिला दौसा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष नवीन अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय खण्डपीठ के निर्णय के अनुसरण में श्रीमती स्वाति भटनागर द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपने पुत्र के 80 प्रतिशत दिव्यांग होने एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन जयपुर शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रथखाना, जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

प्रत्यर्थी संख्या–1, श्रीमती स्वाति भटनागर के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया और उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। श्रीमती भटनागर द्वारा अपने पुत्र की दिव्यांगता के आधार पर जिस अनुतोष की मांग की गई है उसके सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किये गए हैं, के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों, पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता, शहीद की वीरांगना से प्राप्त आवेदनों को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित कार्मिक के दिव्यांग होने पर ही उसे राहत प्रदान की जा सकती है। पति–पत्नी/माता–पिता/पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों की बीमारी के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या–1 को समीपवर्ती दौसा जिले में ही स्थानान्तरित किया गया था, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं किन्तु इनके द्वारा उक्त निकटस्थ स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने के बावजूद भी कार्यग्रहण नहीं किया जाना कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है। प्रत्यर्थी संख्या–1 के उक्त कृत्य से प्रतीत होता है कि वे जयपुर शहर में ही पदस्थापित रहना चाहती हैं जो किसी भी राज्य सेवा के अधिकारी के लिए उचित एवं तर्कसंगत नहीं है।

प्रत्यर्थी संख्या–1 अपीलार्थी विभाग के अधीन प्रधानाचार्य समकक्ष पद पर कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं विद्यार्थी हित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके सम्बन्ध में निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार नियोक्ता को है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और याचिकार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए. आई.आर 1991 एस.सी 552 शिल्पी बोस बनाम बिहार सरकार में प्रतिपादित किया गया है कि स्थानान्तरणीय पद पर पदस्थापित किसी लोकसेवक को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार नहीं है। उसे आवश्यकतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने से उसके विधिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 (WRIT PETITIONER IN CONNECTED S.B.C.W 21742/2019) श्रीमती स्वाति भटनागर, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य,

राबाउमावि सिकन्दरा, सिकराय जिला दौसा द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है। श्रीमती स्वाति भटनागर को आदेशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में अपने स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 16.10.2020 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का इन्द्राज शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/डी.बी. स्पेशल अपील/495/2020 **दिनांकः** 12/10/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/दौसा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/दौसा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. प्रधानाचार्य, गुरू नानक भवन संस्थान, जयपुर।
11. श्रीमती स्वाति भटनागर, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)